न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 12/2018

1 रामकिशोर पुत्र लिछमणराम जाति मीणा निवासी सिलाटी तन मण्डाना तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मु. शंकरी बेवा मालीराम।
2 सुरेश कुमार पुत्र मालीराम।
3 नोरंगराम पुत्र भगुताराम।
4 मु. शीला बेवा मनीराम।
5 अशोक कुमार पुत्र मनीराम समस्त जाति मीणा निवासीगण बबाई तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 16.11.2017 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी मुकदमा उनवानी रामकिशोर बनाम मु. शंकरी वगैरह मुकदमा नम्बर 133/2007 दावा बाबत घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री जितेन्द्र कुमार निर्मल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 07.04.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा संख्या 133/2007 मे पारित निर्णय दिनांक 16.11.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 545 रकबा 0.20 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम बबाई तहसील खेतड़ी में स्थित है। खसरा नम्बर 545 वाके ग्राम बबाई के बाबत खातेदारी घोषणा व विभाजन के बाबत अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष वाद पत्र पेश किया जिसको अदालत मातहत ने दिनांक 16.11.2017 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने तनकीवार स्पष्ट रूप से निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित नहीं की । कानून से वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण के निर्णय में स्पष्ट रूप से तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए। तनकी संख्या 1 का निर्णय अदालत मातहत ने अपीलांट के विरूद्व तय करने में कानूनी गलती है। अदालत मातहत ने नामान्तकरण संख्या 369पर गौर नहीं कर तथा नामान्तकरण संख्या 369 को नजर अन्दाज कर तनकी संख्या 1 का निर्णय अपीलांट के विरूद्व तय करने में कूननी गलती की है। अदालत मातहत ने नामान्तकरण संख्या 369 को सही क्यों नहीं माना इस बाबत भी आलौच्य निर्णय व डिक्री जैर बहस में कोई कारण स्पष्ट नहीं किया। अदालत मातहत ने तनकी संख्या 1 का निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

पारित करने में कोई स्पष्ट आधार दर्ज नहीं किया। विवादित जमीन पर पहले अपीलांट के पिता का कब्जा था तथा वर्तमान में अपीलांट का कब्जा है। अदालत मातहत ने तनकी संख्या 2 का निर्णय तनकी संख्या 1 को गलत आधार मानकर अपीलांट के विरूद्व तय करने में कानूनी भूल की है। नामान्तकरण संख्या 369 को रेस्पोडेंट ने कहीं चैलेंज नहीं किया। नामान्तकरण संख्या 369 कानून की नजरों में सही होने की उपधारणा की गई है। अपीलांट के पिता का विवादित जमीन पर कब्जा था इसी कारण भौतिक जांच के बाद नामान्तकरण संख्या 369 सही भरा गया है। अदालत मातहत के वकील ने अपीलांट को यह हिदायत दे रखी थी कि उसको प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी अपीलांट की न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी तब पूर्व में सूचना देकर बुला दिया जावेगा। आलौच्य निर्णय जैर बहस के बारे में वकील ने अपीलांट को कोई सुचना नहीं दी। दिनांक 22.11.2017 को अपीलांट अपने अदालत मातहत के वकील से मिलकर अपने वाद पत्र की प्रोग्रेस के बारे में पुछा तो अपीलांट ाके अदालत मातहत के वकील ने बताया कि आपके वाद पत्र को न्यायालय ने खारिज कर दिया। जिस पर दिनांक 23.11.2017 को आलौच्य निर्णय व डिक्री जैर बहस की नकल लेने की लिये अपीलांट ने नकल प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल तैयार होकर अपीलांट को दिनांक 08.12.2017 को प्राप्त हुई। आलौच्य निर्णय व डिक्री जैर बहस की बरोज जानकारी दिनांक 08.12.2017 से अपील अपीलांट अन्दर मियाद 60 दिन पेश है। दिनांक 09.12.2017 से दिनांक 28.01.2018 तक का समयअपीलांट को अपील तैयार करवाने में व अपील से सम्बंधित दस्तावेज लेने में व वृद्वावस्था के कारण कुछ दिन बिमार रहने के कारण लग गये। विचारण न्यायालय किसी कारणवश अपील अपीलांट अन्दर मियाद नहीं माने उस सुरत में अपीलांट को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का फायदा दिया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद समाहत की जावें।

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी का विवादित भूमि खसरा नम्बर 545 से कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। इंतकाल संख्या 320 के विरूद्व अपील संख्या 31/77 उनवानी लिछमण बनाम बदामी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के यहां प्रस्तुत की थी उक्त अपील के निर्णय दिनांक 26.02.1979 में नामान्तकरण संख्या 320 दिनांक 15.08.1974 को बहाल रखा गया था इस प्रकार प्रतिवादीगण के पूर्वजों का वाद वर्णित भूमि के गत खसरा नम्बर 74 पर कब्जा प्रमाणित है। उक्त आदेश में रेस्पोडेंट का 12 साल से अधिक से कब्जा काश्त संवत 2019 से चला आ रहा था इसके बावजूद भी उक्त प्रकरण में अपीलांट ने बेदखली की कोई कार्यवाही नहीं की । ना ही उनकी मृत्यु के बाद वादी के द्वारा की गई। वादीके द्वारा वाद वर्णित भूमि पर कब्जा होने के सन्दर्भ में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी इतने लम्बे अर्से के बाद भी उसकी इच्छा के विरूद्व प्रतिवादीगण का कब्जा उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में संवत 2019 से वर्तमान जमाबंदीयों में दर्ज चला आ रहा है। चूकि वादी विवादित भूमि के किसी भी हिस्से पर काबिज काश्त नहीं है तथा ना ही अनुतोष के खण्ड 11 (क), (ख) के अनुसार खातेदार ही है। वादी द्वारा ऐसा कोई पंजीकृत एवं प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे कि सिद्व हो कि मु. सोनड़ी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में 16 बिस्वा का बेचान भगोता पुत्र नानगा को किया है तथा ना ही वादी ने मु. सोनड़ी के वारिस होने का प्रमाण (गोदनामा) पेश किया, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी का दावा स्वीकार योग्य नहीं बनता और ना ही विवादित आराजी के कब्जे काश्त के सम्बंध में कोई साक्ष्य पेश किए, अत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के अभाव में प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2011 (2) पेज 1767, आर.एल.डब्ल्यू 2014(1) पेज 460, आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 440, आर.आर.टी. 2017(1) पेज 117 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इंतकाल संख्या 320 के विरूद्व अपील संख्या 31/77 उनवानी लिछमण बनाम बदामी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के यहां प्रस्तुत की थी उक्त अपील के निर्णय दिनांक 26.02.1979 में नामान्तकरण संख्या 320 दिनांक 15.08.1974 को बहाल रखा गया था इस प्रकार प्रतिवादीगण के पूर्वजों का वाद वर्णित भूमि के गत खसरा नम्बर 74 पर कब्जा प्रमाणित है। उक्त आदेश में रेस्पोडेंट का 12 साल से अधिक से कब्जा काश्त संवत 2019 से चला आ रहा था इसके बावजूद भी उक्त प्रकरण में अपीलांट ने बेदखली की कोई कार्यवाही नहीं की । ना ही उनकी मृत्यु के बाद वादी के द्वारा की गई। वादीके द्वारा वाद वर्णित भूमि पर कब्जा होने के सन्दर्भ में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी इतने लम्बे अर्से के बाद भी उसकी इच्छा के विरूद्व प्रतिवादीगण का कब्जा उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में संवत 2019 से वर्तमान जमाबंदीयों में दर्ज चला आ रहा है। चूकि वादी विवादित भूमि के किसी भी हिस्से पर काबिज काश्त नहीं है तथा ना ही अनुतोष के खण्ड 11 (क), (ख) के अनुसार खातेदार ही है। वादी द्वारा ऐसा कोई पंजीकृत एवं प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे कि सिद्व हो कि मु. सोनड़ी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में 16 बिस्वा का बेचान भगोता पुत्र नानगा को किया है तथा ना ही वादी ने मु. सोनड़ी के वारिस होने का प्रमाण (गोदनामा) पेश किया, दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी का दावा स्वीकार योग्य नहीं बनता और ना ही विवादित आराजी के कब्जे काश्त के सम्बंध में कोई साक्ष्य पेश किए, अत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के अभाव में प्रतिकूल कब्जा साबित नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

जहां तक नामान्तकरण संख्या 369 दिनांक 03.11.1977 के सन्दर्भ में अधिकारिता का प्रश्न है इस सम्बंध में अपीलांट नये सिरे से उद्घोषणा का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है किन्तु प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)